न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 479 सन 2021
अनवान :-

1. पूर्णचन्द पुत्र श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. मोहरसिंह पुत्र श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. देवीलाल पुत्र श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति पुत्र गोपीराम पुत्र श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राकेश भंवरीया नाबालिग राममूर्ति जरिये संरक्षिका माता मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रवि नाबालिग राममूर्ति जरिये संरक्षिका माता मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सुमन नाबालिग राममूर्ति जरिये संरक्षिका माता मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कविता नाबालिग राममूर्ति जरिये संरक्षिका माता मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री गोपीराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. दलीप पुत्र केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. दुलाराम पुत्र केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
8. ओमप्रकाश पुत्र केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
9. रोहिताश पुत्र केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
10. सरोज पुत्री केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
11. पूनम पत्नी रूपराम पुत्री केशर जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सुनीता नाबालिग पुत्री रूपराम उर्फ अनिल जरिये संरक्षिका माता पूनम पत्नी रूपराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. प्रियंका नाबालिग पुत्री रूपराम उर्फ अनिल जरिये संरक्षिका माता पूनम पत्नी रूपराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. रविकुमार पुत्र सत्यबाला पुत्री केशर देवी जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
15. साहिल कुमार पुत्र सत्यबाला पुत्री केशर देवी जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
16. पूजा रानी पुत्री सत्यबाला पुत्री केशर देवी जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
17. ओमप्रकाश पति सत्यबाला पुत्री केशर जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
18. राकेश पुत्र विधा पुत्री केशर जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
19. सुशील कुमार पुत्र विधा पुत्री केशर जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेशकार राज०

निर्णय दिनांक :- 27/08/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 74/71 की कुल 3.7950हैक , भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा/पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है

श्योकरण पुत्र जिसुख के जायज वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं गोपीराम एव केशर व विधा हुए जिनमें से गोपीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान राममूर्ति एवं कृष्णा हुए जिसमें से राममूर्ति का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है , केशर के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 एवं सत्यबाला, रूपराम हुए जिनमें से सत्याबाला का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 है रूपराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 11 ता 13 है एवं विधा का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवीद संख्या 18 ,19 है इसप्रकार श्योकरण पुत्र जिसुख के देहान्त होने पर उसके जीवित जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 19 वादीगण की बहने मृतक बहनों के पुत्र/पुत्रीया एवं उनमें से मृतक पुत्री/पुत्रीयो के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 5 ता 18 ने अपने हक हिस्से की भूमि को अपने भाईयो/बुआ/मामा आदि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिन्हे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की श्योकरण पुत्र जिसुख जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाले दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है श्योकरण पुत्र जिसुख के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसान पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 5 ता 19 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/मामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 20 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 74/71 की कुल 3.7950हैक , भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा/पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है

श्योकरण पुत्र जिसुख के जायज वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं गोपीराम एव केशर व विधा हुए जिनमें से गोपीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायत वारिसान राममूर्ति एवं कृष्णा हुए जिसमें से राममूर्ति का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है , केशर के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 एवं सत्यबाला, रूपराम हुए जिनमें से सत्याबाला का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 है रूपराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 है एवं विधा का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवीद संख्या 18 ,19 है इसप्रकार श्योकरण पुत्र जिसुख के देहान्त होने पर उसके जीवित जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 5 ता 19 वादीगण की बहने मृतक बहनों के पुत्र/पुत्रीया एवं उनमें से मृतक पुत्री/पुत्रीयो के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 5 ता 18 ने अपने हक हिस्से की भूमि को अपने भाईयो/बुआ/मामा आदि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिन्हे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 74/71 की कुल 3.7950हैक , भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है जो वादीगण के पूर्वज है श्योकरण पुत्र जिसुख का देहान्त हो चुका है जिसके जायज जीवित वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया वादीगण ने अपने कथनों की पुष्टि हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादीगण के कथनों की पुष्टि होती है। अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 74/71 की कुल 3.7950हैक , भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 तीनों बहिब 3/4 हिस्सा व वादी संख्या 4 अकेली 1/40 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 2/40 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 2/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पूर्णचन्द पुत्र श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. मोहरसिह पुत्र श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. देवीलाल पुत्र श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति पुत्र गोपीराम पुत्र श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राकेश भंवरीया नाबालिग राममूर्ति जरिये संरक्षिका माता मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रवि नाबालिग राममूर्ति जरिये संरक्षिका माता मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सुमन नाबालिग राममूर्ति जरिये संरक्षिका माता मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कविता नाबालिग राममूर्ति जरिये संरक्षिका माता मन्जूदेवी पत्नी राममूर्ति जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री गोपीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. दलीप पुत्र केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. दुलाराम पुत्र केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. ओमप्रकाश पुत्र केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
9. रोहिताश पुत्र केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
10. सरोज पुत्री केशरदेवी पुत्री श्योकरण जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला
11. पूनम पत्नी रूपराम पुत्री केशर जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सुनीता नाबालिग पुत्री रूपराम उर्फ अनिल जरिये संरक्षिका माता पूनम पत्नी रूपराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. प्रियंका नाबालिग पुत्री रूपराम उर्फ अनिल जरिये संरक्षिका माता पूनम पत्नी रूपराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. रविकुमार पुत्र सत्यबाला पुत्री केशर देवी जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
15. साहिल कुमार पुत्र सत्यबाला पुत्री केशर देवी जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील ।
16. पूजा रानी पुत्री सत्यबाला पुत्री केशर देवी जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
17. ओमप्रकाश पति सत्यबाला पुत्री केशर जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
18. राकेश पुत्र विद्या पुत्री केशर जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
19. सुशील कुमार पुपत्र विद्या पुत्री केशर जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 74/71 की कुल 3.7950हैव , भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक श्योकरण पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 तीनों बहिब 3/4 हिस्सा व, वादी संख्या 4 अकेली 1/40 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 2/40 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 2/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर